दिनांक 24 नवम्बर 1988 को प्रातः 11.00 बजे प्रशासनिक भवन, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर में आयोजित प्रबन्ध बोर्ड की बैठक का कायवृत :

निम्नांकित सदस्य उपस्थित थे :-

1. डा. के. एन. नाग — अध्यक्ष
2. डा. एम. वी. माथुर
3. डा. आर. एस. पारोड़ा
4. श्री के. एम. मेहता
5. श्री सूर्यदेव सिंह बारहट
6. डा. पी. एन. मेहरोत्रा
7. डा. एस. सन. सक्सेना
8. डा. आर. सी. मेहता
9. डा. एस. आर. चौधरी
10. डा. एन. एल. अग्रवाल
11. श्री बी. एस. उज्जवल
12. श्री के. एस. माथुर
13. श्री एस. पी. पुरोहित
14. श्री आर. एस. धारीवाल — सदस्य सचिव

डा. एस. एस. आचार्य, शिक्षा सचिव, कृषि उत्पादन सचिव, पशु पालन सचिव ने बैठक मे भाग लेने की असमर्थता भेजी।

कुलपति महोदय ने सर्वप्रथम डा. पारोड़ा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली का बैठक में प्रथम बार भाग लेने पर स्वागत किया और कहा कि यह बड़े गर्व की बात है डा. पोरोड़ा जो कि इस विश्वविद्यालय के विद्यार्थी रहे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् जैसी महत्वपूर्ण संस्था में इतने उच्च पद पर आसीन हैं उन्हें राजस्थान प्रदेश की कृषि संबंधी सभी समस्याओं का ज्ञान है और अब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के नुमाइन्दे के रूप में विश्वविद्यालय के विकास में अपना अमूल्य योगदान दे सकेंगे।

बैठक की कार्यवाही के प्रारम्भ में कुलपति ने सदस्यों के विचार का सुझाव दिया और डा. पारोड़ा ने अपने स्वागत के उत्तर में कहा कि हमें केवल वर्तमान को ही नहीं देखना है साथ ही यह भी देखना है कि सन् 2000 से आगे क्या करना है और भविष्य में हमें किस तरफ जाना है। हमें एक स्ट्रेटेजी पेपर बनाना चाहिये और उसमें हमारी उपलब्धियों का विवरण करते हुए आठवी योजना में हमारी क्या क्या आवश्यकताएं होगी किस तरह की हमें मदद की आवश्यकता होगी दर्शाते हुए अपना प्रतिवेदन बनाना चाहिये। कैसी कि कमियाँ भूत में रही है उनके ऊपर भी ध्यान देना चाहिये। यह स्ट्रेटेजी पेपर सभी कार्यक्रमों व संकायों (विस्तार शिक्षा, अध्यापन व शोध) का अगले वर्षों के लिए तैयार करना चाहिये।

प्रो. एम. वी. माथुर ने कहा कि मेनेजमेन्ट फेक्टर कृषि में भी उतना ही उपयोगी एवं महत्वपूर्ण है जितना कि अन्य उद्योगों में । पर्सपेक्टिव प्लान विकास का क्या है इसे अभी से कृषि के महत्व की गति को देखते हुए तैयार करना चाहिये। इस प्रकार बनायी हुई योजना भविष्य के लिये बहुत सहायक होती है।

डा. पारोड़ा ने मत व्यक्त किया कि ऐसे होनहार वैज्ञानिकों को सम्मिलित किया जाय जो नये प्रोजेक्ट्स बनाने के लिये सक्षम हों। ये प्रोजेक्ट्स ऐसे होने चाहिये जो रूटीन न होकर भविष्य की आवश्यकता को समझे और प्रदेश की समस्याओं का समाधान कर सकें। उसके अनुरूप मूलभूत सुविधायें विकसित की जाय ताकि उन सुविधाओं का उपयोग नये प्रोजेक्ट्स में हो सकेगा। इसी प्रकार का मास्टर प्लान कृषि फार्मों के लिये, वन विकास एवं भूमि विकास के लिये तैयार किये जाने चाहिये। श्री एम. वी. माथुर ने सुझाव दिया कि ऐसे सदस्यों को रखने का क्या लाभ जो कभी बैठक में आते ही नहीं है। सभी सदस्यों को बैठक में भाग लेना चाहिये । प्रोजेक्ट्स बनाते समय रूटिन अप्रोच न होकर इफेक्टिव (प्रभावी तरीके) से गेप्स को भरा जाना चाहिये। गुणात्मक परिमात्रा तरक्की के लिये साधन तैयार करने चाहिये। अध्यापक पूरी तरह से सुसज्जित हों और आगामी दस पन्द्रह वर्षों में क्या होने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए अध्यापन कार्य को आगे बढ़ायें। यह देखना भी आवश्यक है कि देश किस ओर जा रहा है? विशेष प्रकार की संस्थाओं को इस बारे में कि आगामी वर्ष में क्या होने वाला है , किस प्रकार की खोज की आवश्यकता होगी सम्पर्क करके सबजेक्ट पेपर तैयार किया जाना चाहिये और फिर राजस्थान के लिये क्या आवश्यक है, वहाँ की परिस्थितियों में क्या हो सकता है उसे भी देखना चाहिये। शैक्षणिक कर्मचारी महाविद्यालय इस विश्वविद्यालय में बनाया जा सकता है ताकि कर्मचारी, अध्यापकों को नई खोज से अवगत कराया जाये, नये बढ़ने के तरीकों से भी अवगत कराया जाय। मेनेजमेन्ट की स्थिति बहुत ही दयनीय है उसको विकसित किया जाना चाहिये लेकिन एम. बी. ए. की नकल नहीं की जानी चाहिये।

कुलपति ने फोरकास्ट के लिये नये मेगजीन जो निकले रहे हैं उनकी ओर ध्यान दिलाया कि इनसे ट्रेन्ड का मालूम पड़ता हैकि वैज्ञानिकों की खोज किसत तरफ जा रही है और किन विषयों पर हो रही है।

बाद विचार विमर्श यह तय किया गया कि डा. एस. एन. सक्सेना दिनांक 20. 1. 89 तक अपना एकेडेमिक प्लान बनाकर दे दें और उसकी प्रतियाँ सभी सदस्यों को दे दी जाय ताकि उस पर विस्तृत विचार विमर्श बोर्ड की अगली बैठक में हो सके। श्री सूर्यदेवसिंह बारहठ ने सुझाव दिया कि बोर्ड के सदस्य जिसमें डा. एम. वी. माथुर, श्री के. एम. मेहता, श्री सूर्यदेवसिंह बारहठ, वित्त नियंत्रक, कृषि उत्पादन सचिव के साथ हिसार कृषि विश्वविद्यालय , पन्त नगर कृषि विश्वविद्यालय में जाये ताकि वहाँ नयी खोज को देख कर शैक्षणिक योजना तैयार करने में अपना प्रभावपूर्ण मत व्यक्त कर सकें।

RAJAU/BOM-7/88-5/81

दिनांक 17 सितम्बर 1988 को आयोजित प्रबन्ध बोर्ड की बैठक के कार्यवृत की पुष्टि पर विचार किया गया।

श्री के. एम. मेहता ने गत बैठक के कार्यवृत की ओर ध्यान दिलाते हुए पृष्ट 2 के (व) में निजी कोलेजों कृषि संकायों को बन्द किया जाय का क्या अभिप्राय है। इस पर कुलपति महोदय ने स्पष्ट करते हुए कहा कि यह अभिव्यक्ति भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के पत्र में अलग से [illegible] और उस पत्र के आधार पर यह कहा गया था लेकिन इस पर कोई [illegible] परिषद द्वारा लिया जाय यह उचित नहीं है क्योंकि राज्य सरकार के समक्ष यह मामला विचाराधीन है और इस बारे में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा बार बार लिखा भी जा रहा है। इसलिये इसका अभिप्राय केवल भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की भावनाओं को बताना है।

डा. पारोडा ने यह भी प्रश्न उठाया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के अनुदान से जितने भी भवन बनाये गये हैं वे सभी राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के पास ही रहने चाहिये। कुलपति ने बताया कि राजस्थान सरकार ने एक कमेटी नियुक्त की थी और इस बारे में राज्य सरकार ने 30.5.88 की बैठक में निर्णय लिये हैं और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को इस बारे में बताया गया था। डा. पारोडा ने फिर और जोर देकर कहा कि यह भवन राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय को ही मिलने चाहिये।

बाद विचार विमर्श यह तय किया गया कि एक लिस्ट बना ली जाय कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् से कौनसे भवन बने हैं और वह सूचि राज्य सरकार को भेज दी जाय। उसमें कन्या छात्रावास, पुस्तकालय का उल्लेख कर दिया जाय।

कुलाधिपति महोदय को यह निवेदन किया जाय कि दोनों विश्वविद्यालय कुलपतियों की बैठक करवाई जाय और आपसी सहमति से बैठकर इस मुद्दे को तय कर लिया जाय।

विस्तृत विचार विमर्श के पश्चात निर्णय लिया गया कि गत बैठक के कार्यवृत की पुष्टि की जाय।

RAJAU/BOM-67/88-5/82

गत बैठक दिनांक 17.9.88 में लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति पर विचार किया गया।

मद संख्या 79 के सम्बन्ध में कुलपति महोदय ने वित्त नियंत्रक, विश्वविद्यालय व अन्य संकायों को यह आदेश दिये कि इसके पहले जो समय मिला है उसमें ओप्शन देने व अन्य प्रारम्भिक कार्यवाही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वेतनमान देने के बारे में कर ली जाय ताकि स्पष्टीकरण आते ही इसका लाभ तुरन्त दिया जा सके।

R J U/BOM-7/88-5/88

कृषि विज्ञान केन्द्र, बांसवाड़ा के लिये भूमि हस्तांतरण के लिये निदेशक विस्तार निदेशालय उदयपुर की प्रार्थना पर 15.6 लाख रूपये स्वीकृत किये जाने के लिये लिखा है पर विचार किया गया।

कुलपति ने बताया कि मार्च 1987 में राज्य सरकार से 8.5 लाख की राशी इस भूमि हेतु प्राप्त हुई है परन्तु यह राशि अब कम पड़ गई है क्योंकि भूमि में नहर के पानी आने पर सिंचित हो गई है और क्षेत्र में सिंचाई भूमि के भाव से रू. 15.6 लाख कीमत आती है।

विस्तृत विचार विमर्श के पश्चात निर्णय लिया गया कि भूमि को विश्वविद्यालय के लिये क्रय कर लिया जावे। बढ़ती हुई लागत व भूमि की उपयोगिता को देखते हुए यह राशि अवार्ड स्वीकृत की जाती है ताकि भूमि विश्वविद्यालय को हस्तान्तरित हो सके तथा राज्य सरकार से रू. 7. लाख का अनुदान प्राप्त भी करें।

R J U/BOM-7/88-5/89

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ।8।4।एफडी।ग्रुप2।/88 दिनांक 14.6.88 जिसमें कि शीर्ष लिपिक/ निजी सहायक/ व वरिष्ठ निजी सहायकों को जो हिन्दी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में डिक्टेशन ले सकते हैं और जिनकी नियुक्ति किसी एक भाषा के लिये की गई थी और दोनों भाषाओं में कार्य कर सकते हैं उन्हें नियमानुसार दो अग्रिम वेतन वृद्धि दिनांक 1.4.1987 से प्रदान करने पर विचार किया गया।

निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार के आदेशानुसार इस विश्वविद्यालय में भी यह वेतन वृद्धि स्वीकृत की जाय।

R J U/BOM-7/88-5/90

श्री एस.के. कानूनगो, सहायक आचार्य कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय, उदयपुर की प्रार्थना पर उन्हें एक वर्ष का अवैतनिक आवकाश गुजरात कृषि विश्वविद्यालय में सह आचार्य के पद पर कार्य करने की अनुमति के साथ प्रदान करने पर विचार किया गया।
निर्णय लिया गया कि नियमानुसार एक वर्ष का अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जाय।

R J U/BOM-7/88-5/91

राज्य सरकार के आदेशों का जिनमें कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की एक किश्त प्रदान करने की गई है पर विचार किया गया।

निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार के आदेशानुसार विश्वविद्यालय कर्मचारियों को भी महंगाई भत्ते की वृद्धि प्रदान की जाय।

RAJAU/BOM-7/88-5/92

प्रो. एस. के. खन्ना, सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक डी. ओ. 15-20/88 (सीपीपी) दिनांक 3.10.88 जिसमें उन्होंने लिखा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आमंत्रित विशेषज्ञों के रूप में जिन प्राध्यापकों को अपने विश्वविद्यालय के शैक्षणिक अवकाश लेकर आना पड़ता है को सेवा पर माना जाय व उन्हें सेवा अवकाश प्रदान किया जाय।

विस्तृत विचार विमर्श के पश्चात निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों को केवल अनुमति प्रदान की जायेगी। अर्थात जो भी प्राध्यापक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आमंत्रित किये जायेंगे उनको पूर्व अनुमति लेनी होगी। विश्वविद्यालय द्वारा अनुमति प्रदान की जायेगी पर उसमें स्पष्ट उल्लेख होगा कि विश्वविद्यालय पर किसी प्रकार का आर्थिक भार नहीं होगा।

RAJAU/BOM-7/88-5/93

शैक्षणिक परिषद् की बैठक दिनांक 13-14 सितम्बर 1988 के कार्यवृत की पुष्टि पर विचार किया गया।

निर्णय लिया गया कि कार्यवृत की पुष्टि निम्न टिप्पणी के साथ की जा

अ) भविष्य में कार्यवृत की विशिष्टता को एक अलग टिप्पणी के साथ बोर्ड के समक्ष रखी जाय जिन पर कि विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

ब) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को लिखा जाय कि वे अपनी डीम विश्वविद्यालय में चल रही संकायों के विकास के लिये विद्या वाचस्पति की सुविधायें कोर्स वर्क के माध्यम से प्रारम्भ करने के लिये एक्रीडीशन प्रदान करें। कुलपति महोदय ने सदस्यों को अवगत कराया कि जिन विषयों में विद्या वाचस्पति हेतु पाठ्यक्रम के आधार पर प्रदान करने की अनुमति प्रदान की गई है पर उसके साथ यह शर्त भी रखी गई है कि अधिष्ठाता, विभागाध्यक्ष कुलपति को संतुष्ट करेंगे कि विभाग में समुचित सुविधायें उपलब्ध हैं और अगले दो तीन वर्ष तक वे किसी विशेष अनुदान, कर्म चारी की मांग नहीं करेंगे।

RAJAU/BOM-7/88-5/94

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पुनर्दीप्त वेतनमान 1973 के स्थरीकरण के संबंध में विसंगतियों को दूर क किये जाने व लागू करने पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया।

विस्तृत विचार विमर्श के पश्चात निर्णय लिया गया कि पुनर्दीप्त वेतनमा सभी प्राध्यापेकों को नियमानुसार देय होगा। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि जो लेक्चरार एवं रिसर्च असिस्टेंन्ट हैं उन्हें भी ये वेतनमान उपलब्ध होंगे परन्तु वरियता क्रम में वह चयनित असिस्टेंट प्रोफेसर से नीचे रहेंगे और इसके लिये तिथि को निश्चित करने पर विचार करना हो।

आगे विस्तृत विचार विमर्श के बाद यह भी निर्णय लिया गया कि अब से पद नाम वही रखे जायेंगे जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों के आधार पर अन्य सभी विश्वविद्यालयों में प्राध्यापकों के हैं। अतः रिसर्च असिस्टेंट/लेक्चरार के सभी पद सहायक आचार्य के पद नाम से संबोधित किये जायें ताकि ... जब कभी वेतनमान में परिवर्तन हों तो इस विश्वविद्यालय में भी उचित रूप से लागू किया जा सके।

RAJAU/BOM-7/88-5/95

विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में छात्रों द्वारा अवांछनीय तरीके अथवा व्यवहार के कारण परीणाम समिति द्वारा दिये गये दण्डों के अनुमोदन पर विचार किया गया। (एपेन्डिक्स - ए)

निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित दण्डों को अनुमोदित किया जाता है।

RAJAU/BOM-7/88-5/96

डा. राजपाल सिंह, सहायक आचार्य, पौध व्याधी एवं पौध जनन विभाग कृषि अनुसंधान केन्द्र दुर्गापुरा के असामयिक निधन पर कुलपति महोदय ने बोर्ड के सदस्यों से आग्रह किया कि श्रीमती सिंह को सेवा में लेने के लिये अनुमोदन चाहा।

विस्तृ त विचार विमर्श के पश्चात बोर्ड के सदस्यों ने कुलपति महोदय के प्रस्ताव को अनुमोदित किया और यह कहा कि उन्हें सेवा में इस शर्त के साथ लिया जाय कि वे अगले चार वर्ष में कनिष्ट लिपिक की आवश्यक अर्हताएं प्राप्त कर लें अन्यथा उन्हें बुक लिफ्टर के पद पर ही नियुक्ति प्रदान की जा सकेगी। सदस्यों ने यह भी मत व्यक्त किया कि क्योंकि वर्तमान में दुर्गापुरा में किसी बुक लिफ्टर का पद रिक्त नहीं है अत: नये पद का सृजन करने के बजाय किसी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद को पदोन्नत किया जाय।

RAJAU/BOM-7/88-5/97

कुलपति महोदय ने बोर्ड के सदस्यों को अवगत कराया कि डा. एच. एस. रावत, सहायक आचार्य, दुर्गापुरा में हैं व वह गत डेढ़ वर्ष से अवैतनिक अवकाश पर हैं और वह MOTOR NEURONE बीमारी से पीड़ित हैं और जिनका उपचार सम्भव नहीं है। अत: विशेष परिस्थितियों को देखते हुए उनकी को कनिष्ट लिपिक के नियमित वेतनमान में नियुक्ति प्रदान करने का प्रस्ताव किया।

विस्तृत विचार विमर्श के पश्चात निर्णय लिया गया कि ऐसी विषम परिस्थितियों में डा. एच. एस. रावत की पत्नी को विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्ति प्रदान की जाय।

7. जित समय कुलपति सदस्यों को डा. एच . एस. रावत, सहायक आचार्य के निरन्तर बीमार रहने और उनकी पत्नी द्वारा योग्यतानुसार सेवा अवसर दिये जाने पर विचार व्यक्त कर रहे थे । विषय की गम्भीरता को देखते हुए बोर्ड के माननीय सदस्य डा. एम. वी. माथुर ने सदस्यों का ध्यान राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रचलित परिपाटी की ओर दिलाया और बोर्ड के सदस्यों के समक्ष यह मत रखा कि इस विश्वविद्यालय में भी ऐसी कोई परिपाटी डाली जाय जिससे कि इन विषम परिस्थितियों में किसी को सहायता प्रदान की जा सके। उन्होंने आगे मत व्यक्त किया कि यदि जीवन बीमा के अतिरिक्त भी यदि कोई ऐसी बीमा योजना है जो कि जनरल इंश्योरेन्स कम्पनियां करती हैं तो ग्रुप इंश्योरेन्स/ पशुओं के बीमा आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली जाय और यदि सम्भव हो तो इसे प्रारम्भ किया जाय तो यह एक अच्छी परिपाटी विश्वविद्यालय में होगी और इससे जो भी कर्मचारी होंगे उन्हें विश्वविद्यालय के अतिरिक्त लाभ प्राप्त होगा।

इस पर सभी सदस्यों ने अपनी सहमति प्रकट की और कहा कि इसकी प्रक्रिया मालूम करके उचित निर्णय लिया जाय।

निर्णय लिया गया कि प्रबन्ध बोर्ड की अगली बैठक दिनांक 21 जनवरी 1989 को आमंत्रित की जाय।

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक समाप्ति की घोषणा की गई।

ह/-
(के. एन. नाग)
कुलपति (अध्यक्ष)

ह/-
(आर. एस. धारीवाल)
कुलसचिव
(सदस्य सचिव)